

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II  
SECTION-3, SUB-SECTION (II)]

286

Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
(Department of Commerce)

New Delhi, dated 13 April, 2018

**NOTIFICATION**

S.O. -(E)- The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O.1036(E) dated 31<sup>st</sup> March, 2014, for inclusion of new members in SEEPZ SEZ Authority, namely:

In the said notification, the entry at Sl.No. 5 and 6 shall be substituted as under:

5	Shri Shishir Nevatia, Director, M/s Sunjewels Pvt. Ltd, SEEPZ SEZ
6	Shri R. K. Verma, Sr. Vice President, M/s Rolta India Ltd., SEEPZ SEZ

{A.20/1/2006-SEZ (Pt)}



(B. B. Swain)

Additional Secretary to the Government of India

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योगमंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, तारीख: 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

सा. आ. (अ.) केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के दिनांक 31 मार्च, 2014 के सा. आ. 1036 (अ) की अधिसूचना में एतद्वारा सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण में नए सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 5 एवं 6 में प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

5.	श्री शिशिर नेवतिया, निदेशक, मैसर्स सनज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड, सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र ।
6.	श्री आर के वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैसर्स रोल्टा इन्डिया लिमिटेड, सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र ।

{फा.सं: ए. 20/1/2006-एसईजेड (भाग)}



(बी. बी. स्वेन)

अपर सचिव, भारत सरकार